न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जयपुर

अपील संख्या 29/2019 जिला दौसा

1. शिवचरण पुत्र श्री चिरंजीदास
2. हरिमोहन पुत्र चिरंजीदास
3. मदनमोहन पुत्र चिरंजीदास
   समस्त जाति वैषणव निवासी ग्राम पांचोली तहसील सिकराय जिला दौसा।

—अपीलान्ट्स

बनाम

1. प्रेमदेवी पत्नि पुखराज जाति गुर्जर निवासी ग्राम पांचोली तहसील सिकराय जिला दौसा।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील सिकराय जिला दौसा राज0।

—रेस्पोंडेन्ट्स

अपील अन्तर्गत धारा 75 भू—राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध निर्णय दिनांक 15.07.2019 बअदालत उपखण्ड अधिकारी, सिकराय जिला दौसा।

उपस्थित—

1. श्री छोटेलाल मीना वकील अपीलान्ट
2. श्री चन्द्रशेखर बेनीवाल राजकीय अधिवक्ता

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जयपुर

निर्णय

दिनांक —17.10.2022

1. यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत उपखण्ड अधिकारी सिकराय जिला दौसा के निर्णय दिनांक 15.07.2019 के खिलाफ प्रस्तुत हुई है।

2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वाके ग्राम पांचोली तहसील सिकराय जिला दौसा में स्थित भूमि खसरा नं. 1022/30 रकबा 1 बीघा 3 बिस्वा जिसका सीमाज्ञान दिनांक 08.06.2016 को तहसीलदार सिकराय जिला दौसा द्वारा किया गया। रेस्पोडेण्ट संख्या 1 प्रेमदेवी पत्नि पुखराज जाति गुर्जर ने अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिकराय जिला दौसा के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर सीमाज्ञान के मुताबिक पत्थरगढी किये जाने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिस पर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिकराय निर्णय दिनांक 15.07.2019 द्वारा प्रार्थी का आवेदन स्वीकार कर तहसीलदार सिकराय को मुताबिक सीमाज्ञान दिनांक 08.06.2016 के अनुसार पत्थरगढी किये जाने का आदेश दिया।

4. उपखण्ड अधिकारी सिकराय जिला दौसा के उक्त निर्णय दिनांक 15.07.2019 से व्यथित होकर अपीलान्ट श्री शिवचरण पुत्र श्री चिरंजीदास द्वारा यह अपील प्रस्तुत कर अपील स्वीकार करने एवं अपीलाधीन आदेश उपखण्ड अधिकारी सिकराय जिला दौसा दिनांक 15.07.2019 निरस्त किये जाने की प्रार्थना की।

5. अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पोंडेन्ट्स की तलबी की गई । अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया । रेस्पोडेण्ट 1 की ओर से कोई उपस्थित नहीं। अपीलांट के योग्य अधिवक्ता व राजकीय अधिवक्ता की बहस सुनी गई।

6. अपीलान्ट के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील मीमो में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि वाके ग्राम पांचोली तहसील सिकराय जिला दौसा में स्थित भूमि खसरा नं. 1022/30 रकबा 1 बीघा 3 बिस्वा भूमि के

Scanned with OKEN Scanner

अपीलांट समीपस्थ खातेदार हैं तथा रेस्पाडेण्ट जबरन अपीलांट की खातेदारी में गलत तरीके से सीमाज्ञान करवाकर प्रवेश करना चाहते हैं ना ही अपीलांट को सीमाज्ञान दिनांक 08.06.2016 की कोई जानकारी है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कब्जे व अन्य तथ्यों पर गौर नही किया गया है एवं बिना जॉच, सुनवाई एवं सबूत का अवसर दिए बिना ही अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश पारित किया है जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विरूद्ध एवं विधिसम्यक नहीं होने से खारिज किये जाने योग्य है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश उपखण्ड अधिकारी सिकराय जिला दौसा दिनांक 15.07.2019 निरस्त किया जावे।

7. राजकीय अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील का विरोध करते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि उक्त विवादित भूमि की एकमात्र काश्तकार खातेदार प्रार्थीया है जिसका अपीलांट की खातेदारी की भूमि से कोई लेना देना नहीं है। उक्त भूमियों की सुरक्षार्थ, पुख्ता सींव एवं तारबंदी करने हेतु प्रार्थीया द्वारा विधिवत तहसीलदार सिकराय के आदेशानुसार जॉच पश्चात पटवारी हल्का द्वारा मौके पर जाकर दिनांक 08.06.2016 को सीमाज्ञान किया गया। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मुताबिक सीमाज्ञान पत्थरगढी किये जाने का आदेश दिये गये हैं। फिर भी अपीलांट ने बेदखल करने एवं सींव को खुर्द बुर्द करने की नियत से श्रीमान के समक्ष अपील प्रस्तुत की है ऐसी स्थिति में अपीलाधीन आदेश उपखण्ड अधिकारी सिकराय जिला दौसा उचित एवं विधिसम्यक है, जिसे यथावत रखते हुये अपील अपीलान्ट खारिज की जावे।

8. हमने विद्वान अधिवक्ता अपीलांट व राजकीय अधिवक्ता की बहस पर मनन किया तथा प्रकरण के अभिलेख को देखा एवं प्रकरण के तथ्यों पर विचार किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से जाहिर होता है कि वाके ग्राम पांचोली तहसील सिकराय जिला दौसा में स्थित भूमि खसरा नं. 1022/30 रकबा 1 बीघा 3 बिस्वा भूमि के अपीलांट समीपस्थ खातेदार हैं। अधीनस्थ न्यायालय में रेस्पोडेण्ट ने जो प्रार्थना पत्र पत्थरगढी का पेश किया गया है उसमे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मुताबिक सीमाज्ञान पत्थरगढी किये जाने के आदेश दिये गये हैं। चूंकि प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में अपीलांट भी पक्षकार एवं समीपस्थ खातेदार हैं जिनको नोटिस भी जारी किया गया है परन्तु नोटिस की तामिल कराए बिना एवं सुनवाई का समुचित अवसर दिए बिना आदेश पारित किया गया है। अतः हम समझते हैं कि अपीलांट की विधिवत तामिल कराकर, सबूत व साक्ष्य एवं सुनवाई का समुचित अवसर दिया जाना चाहिए था। ऐसी स्थिति में प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को रिमाण्ड किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः आदेश है कि: अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिकराय जिला दौसा का निर्णय दिनांक 15.07.2019 निरस्त किया जाता है तथा अधीनस्थ न्यायालय को प्रकरण इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि उभयपक्षों को सुनकर पुनः विधिसम्मत् निर्णय पारित करें।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. गिरीश पाराशर)
अति. संभागीय आयुक्त,
जयपुर

Scanned with OKEN Scanner